विज्ञापन संख्या :– KGBV/31/18/1664....... / 2022
दिनांक 06-12-2022

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय में चयन हेतु आवश्यक सूचना

1. विभागीय आदेश संख्या–**GE/08/163/2022-23/2835** दिनांक **03.11.2022**के आलोक में जिला में संचालित 15 आवासीय कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में पूर्णतया अस्थायी एवं अल्पकालीन संविदा के आधार पर चयन हेतु योग्य एवं अहर्ताधारी महिला अभ्यर्थियों से निम्न अंकित शर्तो के अधीन शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक रिक्त पदो के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन दिनांक 20.12.22 के अपराह्न 05:00 बजे तक निबंधित डाक के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, समग्र शिक्षा कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम में आमंत्रित किए जाते है :–

SL.No.	Name of Post	Vacancy	ROSTER					Total
			UR	BC-I	BC-II	SC	ST	
1	पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला)–भाषा	01	00	00	00	00	01	**01**
2	पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला)–गणित	03	01	00	00	00	02	**03**
3	पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला)–विज्ञान	04	01	00	00	00	03	**04**
4	पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला)–सा० विज्ञान	03	01	00	00	00	02	**03**
5	पूर्णकालिक शारीरिक शिक्षिका (महिला)	08	02	00	00	00	06	**08**
6	पूर्णकालिक (महिला)–लेखापाल सह कम्प्यूटर ऑपरेटर	01	00	00	00	00	01	**01**
जिला योग		**20**	**05**	**00**	**00**	**00**	**15**	**20**

2. उक्त पदों पर चयन हेतु आवेदन पत्र जिले के **जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह– जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम** के पदनाम से आवेदन को विहित प्रपत्र में निबंधित डाक द्वारा **जिला कार्यालय, समग्र शिक्षा, नया समाहरणालय भवन, तृतीय तल, चाईबासा, पश्चिमी सिंहभूम** में अनिवार्य रुप से दिनांक 20.12.22 तक जमा करना सुनिश्चित करेंगे। साधारण डाक से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जायेंगे।

3. चयन हेतु अहर्ता एवं निर्धारित परिलब्धि –

<table>
<tr><th>क्र०सं०</th><th>पदनाम</th><th>वांछित अहर्ता</th><th>देय परिलब्धि</th></tr>
<tr><td>1</td><td>भाषा शिक्षिका (हिन्दी / अंग्रेजी)</td><td rowspan="5">1. शैक्षणिक अहर्ता :– किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय से संबंधित विषय (जिस विषय की पूर्णकालिक शिक्षिकाओं यथा क्रमांक 1, 2, 3, 4 एवं 5 पर अंकित पदों हेतु आवेदन किया जा रहा हो) में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक के साथ स्नातक की अहर्ता अनिवार्य है। अनुसूचित जाति / जनजाति एवं विकलांग कोटि के अभ्यर्थियों को इस नियम में उपरोक्त वर्णित न्यूनतम प्राप्तांक में 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। चयन में उच्चतर शैक्षणिक योग्यता, प्राप्तांक को प्राथमिकता दी जाएगी। अभ्यर्थी का मैट्रिक एवं इण्टर की परीक्षा झारखण्ड से पास किया होना अनिवार्य होगा।
2. प्रशैक्षणिक अहर्ता :– मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से बी०एड० अथवा समकक्ष परीक्षा यथा प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा में शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा में उत्तीर्णता। शारीरिक शिक्षिका के लिये Bachelor in Physical Education/ Degree in Physical Education अनिवार्य.होगा।
3. शिक्षक पात्रता परीक्षा :– राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरुपित मार्गदर्शी सिद्वान्तों के अधीन झारखण्ड सरकार द्वारा कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में (TET) में उत्तीर्ण रहना अनिवार्य होगा। शारीरिक शिक्षिका हेतु TET अनिवार्य नहीं है। राज्य सरकार द्वारा TET की वैधता आजीवन मान्य किया गया है।</td><td rowspan="5">1. शिक्षिकाओं का चयन संविदा के आधार पर नियत परिलब्धि रू. 15,840 / – प्रतिमाह देय होगी। 03 वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूर्ण होने पर नियत प्रतिमाह परिलब्धि में 50 प्रतिशत की वृद्वि देय होगी।
2. संविदा विस्तार की स्थिति में 250 रु. की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रतिवर्ष प्रदान की जायेगी।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>गणित शिक्षिका</td></tr>
<tr><td>3</td><td>विज्ञान शिक्षिका</td></tr>
<tr><td>4</td><td>सामाजिक विज्ञान शिक्षिको</td></tr>
<tr><td>5</td><td>शिक्षिका –शारीरिक शिक्षा</td></tr>
</table>

6	लेखापाल–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर (महिलाओं के लिए)	1. किसी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान / विश्वविद्यालय से बी०कॉम प्रतिष्ठा में 50 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्णता। अभ्यर्थी का मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षा झारखण्ड से पास किया होना अनिवार्य होगा। 2. तकनीकी अहर्ता :– किसी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से एक वर्षीय कम्प्यूटर कोर्स में पी०जी०डी०सी०ए० / डी०सी०ए० / समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्णता। 3. कार्य अनुभव :– हिन्दी एवं अंग्रेजी में कम्प्यूटर टाईपिंग के साथ टैली साफ्टवेयर (Tally Software) की जानकारी अनिवार्य रुप से होनी चाहिए। 4. चयन हेतु सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही योग्य माने जायेंगे।	1. संविदा के आधार पर नियत परिलब्धि रु. 9,900 / – प्रतिमाह देय होगी। (वर्तमान में मानदेय में 20 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। प्रस्ताव के अनुमोदन के स्थिति में यह देय होगा) 2. प्रत्येक एक वर्ष के संतोषप्रद कार्य करने की स्थिति में संविदा का विस्तार किया जाएगा। 3. तीन वर्ष तक संतोषप्रद्र कार्य किए जाने के पश्चात नियत मानदेय में एकबारगी 50 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए मानदेय स्वरुप प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष संविदा विस्तार की स्थिति में 150 रु. की वार्षिक मानदेय वृद्धि देय होगी।

चयन संबंधी दिशा–निर्देश एवं अनुबंध आधारित अन्य निर्धारित शर्ते निम्नवत है –

1. चयन हेतु सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही योग्य माने जायेंगे। पुरुष अभ्यर्थियों का आवेदन स्वीकार नही किया जाएगा।
2. चयनित होने वाले शिक्षिका एवं शिक्षकेत्तर कर्मी की सेवा अनुबंध के आधार पर प्रथमतया एक वर्ष के लिए ली जाएगी तथा कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में एक–एक वर्ष के लिए अवधि विस्तारित किया जा सकेगा।
3. सभी पदो के चयन में जिला स्तरीय आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा।

4. **आयु सीमा** :–

i- चयन हेतु अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र 21 तथा अधिकतम उम्र 35 वर्ष होगी, परन्तु उच्चतम उम्र में कार्मिक, प्रशासनिक एवं राजभाषा विभाग के ज्ञापांक संख्या 29 दिनांक 04.01.2021 झारखण्ड सरकार के आलोक में निम्नवत् होगी :–

Sl. No.	Category	Maximum age limit
1	Unreserved Category	35
2	Female (UR/EWS/BC-I/BC-II)	38
3	Extremely Backward classes (Annexure I) Backward Classes (Annexure II)	37
4	SC/ST (Male and Female)	40
5	Person with bench mark disability (PwBD)	A relaxation of 10 years in their respective category.

ii- अनुभवी महिला Ex-Servicemen को अपनी कोटि में 05 वर्ष तक उपरोक्त अधिकत्तम आयु सीमा में छूट दी जायेगी

iii- उम्र की गणना आवेदन करने के वर्ष 01.08.2022 के आधार पर की जायेगी।

5. **आवेदन** :– सिर्फ विहित प्रपत्र में पूर्णतया भरे हुए आवेदन पत्र सभी अनुलग्नकों के साथ निर्धारित अंतिम तिथि 20.12.2022 **के संध्या 05:00 बजे** तक जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, समग्र शिक्षा (SSA) के कार्यालय में निबंधित डाक के माध्यम से स्वीकार किए जायेंगे। अंतिम तिथि के बाद आवेदन पत्रों पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।
6. प्रकाशित विज्ञापन की प्रति जिसमें चयन की शर्ते, अहर्ता एवं कोटिवार रिक्तियों की स्थिति तथा आवेदन हेतु विहित प्रपत्र एवं अन्य दिशा–निर्देश जिला के अधिकारिक वेबसाईट www.chaibasa.nic.in पर उपलब्ध है। चयन से संबंधित सभी दिशा–निदेश उपरोक्त वर्णित वेबसाईट पर उपलब्ध रहेंगे तथा अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे समय–समय पर जानकारी हेतु वेबसाईट का

अवलोकन करते रहेंगे। उपरोक्त जानकारी जिला के NIC के अधिकारिक वेबासईट पर भी अवलोकन हेतु उपलब्ध रहेगी।

7. **आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले अनुलग्नक :–**

i. 23X10 से.मी. का स्वःपता लिखा हुआ दो लिफाफा।

ii. सभी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक शिक्षक पात्रता परीक्षा तथा अन्य स्वः अभिप्रमाणित प्रमाण पत्रों की छाया प्रति संलग्न की जाए।

iii. आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु जाति प्रमाण पत्र (झारखण्ड राज्य के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत) स्वः अभिप्रमाणित छायाप्रति।

iv. झारखण्ड राज्य के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत नियोजन हेतु आवासीय प्रमाण पत्र की स्वः अभिप्रमाणित छायाप्रति।

8. कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय एक आवासीय विद्यालय है, अतः चयनित अभ्यर्थी को विद्यालय में रहना अनिवार्य होगा।

9. अभ्यर्थियों का चयन संबंधित जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के द्वारा किया जाएगा। चयन समिति का इस हेतु निर्णय अंतिम माना जाएगा।

10. अपरिहार्य कारणों से चयन प्रक्रियां किसी भी समय स्थगित/रदद् करने का अधिकार राज्य परियोजना निदेशक अथवा जिले के उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी, झारखण्ड शिक्षा परियोजना को सुरक्षित रहेगा।

11. आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को अनिवार्य रुप से आवेदन के लिफाफा के उपर लाल रंग से मोटे अक्षर आवेदित पद का नाम एवं कोटि अंकित करना होगा। अन्यथा आवेदन अस्वीकार करने की स्थिति में वे स्वयं जवावदेह होंगे।

12. अपूर्ण एवं अहस्ताक्षरित आवेदनों को स्वीकार नही किया जाएगा।

26/11/20

जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह–
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
पश्चिमी सिंहभूम

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
झारखण्ड शिक्षा परियोजना
पश्चिमी सिंहभूम